"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 128] रायपुर, बुधवार, दिनांक 5 अप्रैल 2023 — चैत्र 15, शक 1945

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 29 मार्च 2023

अधिसूचना

क्रमांक/**698**/एफ-2013-04-00749/ब-4संसा.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद् द्वारा **"छत्तीसगढ़ राज्य प्रत्याभूति मोचन निधि योजना, 2023"** बनाते हैं:-

छत्तीसगढ़ शासन के प्रत्याभूति मोचन निधि की स्थापना एवं संचालन हेतु संशोधित योजना

1. **योजना का शीर्षक** — यह योजना "**प्रत्याभूति मोचन निधि योजना (आगे इसे 'निधि' के नाम से संबोधित किया जाएगा)**" कहलायेगी।

2. **निधि की स्थापना** — प्रत्याभूति मोचन निधि की स्थापना छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की जाएगी, जिससे राज्य स्तरीय निकायों को दी गई प्रत्याभूतियों के कारण उत्पन्न हुए दायित्वों को पूरा किया जा सकेगा। शासन के लेखे में लोक लेखा के अन्तर्गत इस निधि की स्थापना होगी और मुख्य लेखा शीर्ष "8235- सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां-117-गारंटी मोचन" के अन्तर्गत इसे वर्गीकृत किया जाएगा।

3. **योजना का उद्देश्य** — निधि का उपयोग, राज्य स्तरीय उपक्रमों अथवा अन्य संस्थाओं द्वारा राज्य शासन की प्रत्याभूति पर जारी किये गये बॉण्ड्स एवं अन्य देनदारियों को भुगतान न करने के कारण हितग्राहियों द्वारा मांग (invoke) करने पर उत्पन्न दायित्व चुकता करने के लिये किया जाएगा।

   स्पष्टीकरण

   (क) निधि में संचयन का उपयोग केवल उन प्रत्याभूतियों के भुगतान हेतु किया जाएगा, जो शासन के द्वारा जारी की गई तथा हितग्राहियों द्वारा मांग (invoke) की गई हो और जिनका भुगतान उस संस्थान द्वारा न किया गया हो जिनकी ओर से प्रत्याभूति जारी की गई थी।

   बशर्ते कि राज्यों का शुद्ध वृद्धिशील वार्षिक निवेश (अर्थात् पिछले वर्ष की इसी अवधि में स्तर से अधिक बकाया राशि) भारतीय रिजर्व बैंक (इसके बाद इसे बैंक कहा जाएगा) से विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त करने के लिए पात्र होगा

4. **योजना के संचालन का प्रारंभ** — यह योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 से प्रभावशील होगी।

5. **निधि के लिए अंशदान** — (क) शासन द्वारा, निधि की स्थापना पिछले वर्ष के अंत में बकाया गारंटी के न्यूनतम एक प्रतिशत के मामूली प्रारंभिक योगदान के साथ की जाएगी और उसके बाद अगले पांच वर्षों में न्यूनतम 3 प्रतिशत के

स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रति वर्ष न्यूनतम 0.5 प्रतिशत योगदान किया जाएगा। निधि को धीरे–धीरे 5 प्रतिशत के वांछनीय स्तर तक बढ़ाया जाएगा। यदि प्रत्याभूति की मांग (invoke) किया गया हो अथवा मांग किये जाने की संभावना हो, तो अतिरिक्त निधि (5 प्रतिशत से अधिक) बनाये रखी जाएगी।

(ख) शासन अपने विवेक से तथा प्रत्याभूतियों के संभावित मांग के आकलन के आधार पर निधि में योगदान (वार्षिक 0.5 प्रतिशत से अधिक) बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है। निधि में शेष राशि को वार्षिक अथवा कम अंतराल पर किए गए योगदान के साथ बढ़ाया जाएगा।

(ग) निधि में योगदान की कुल राशि के अंतरण को सक्षम करने के लिए, शासन द्वारा अपने बजट में व्यय पक्ष अंतर्गत उचित प्रावधान शीर्ष''–2075–विविध सामान्य सेवाएं–797–आरक्षित निधियां तथा जमा लेखों में अंतरण–प्रत्याभूति मोचन निधि'' अंतर्गत किया जाएगा।

(घ) शासन बैंक से ऋण लेकर निधि में अपना योगदान नहीं देगी।

सामान्य राजस्व/लोक लेखा के साथ निधि का संबंध

6. (क) फंड के कॉर्पस में शासन द्वारा सीमांकित एक प्रारंभिक राशि, शासन द्वारा किए गए वार्षिक या अन्य योगदान, साथ ही निधि को उपार्जित आय के अतिरिक्त जिन संस्थानों के बॉन्ड/दायित्वों के संबंध में, गारंटी जारी की गई उन संस्थानों से प्राप्त गारंटी कमीशन (शुल्क) के माध्यम से आवधिक अभिवृद्धि भी शामिल होगी।

(ख) निधि को शासन के सामान्य राजस्व के बाहर रखा जाएगा और केवल इस योजना में निर्धारित तरीके से उपयोग किया जाएगा।

निधि का संचालन

7. इस निधि का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय लेखा शाखा द्वारा समय–समय पर राज्य शासन से प्राप्त निर्देशो के अनुसार किया जाएगा।

निधि के निकाय का निवेश

8. (क) निधि में अभिवृद्धि का निवेश भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिलों, भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों और अन्य राज्यों के राज्य सरकार प्रत्याभूति में ऐसी परिपक्वता के रूप में किया जाएगा, जैसा कि बैंक, शासन के परामर्श से समय–समय पर निर्धारित करेगा।

(ख) बैंक द्वितीयक बाजार से कंडिका 11 में इंगित शुल्क के अतिरिक्त बिना किसी अन्य शुल्क के प्रतिभूतियों को प्राप्त करके निवेश के लिए प्रतिभूतियां उपलब्ध कराएगा।

लेन–देन का लेखा

9. (क) निधि के प्रशासन का उत्तरदायित्व शासन का होगा। शासन द्वारा निधि के निकाय का निवेश, पुनः निवेश/विनिवेश, दायित्वों और कोष के प्रयोग आदि से संबंधित समस्त मामलों का निराकरण किया जायेगा।

(ख) शासन समय–समय पर बैंक को निर्देश जारी करेगा। बैंक आवश्यक निवेश करने की तत्काल व्यवस्था करेगा। बैंक शासन को निवेश एवं अन्य व्यय जैसे दलाली, कमीशन आदि के नामे संबंधी लेखा देगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि निधि के निवेश लेनदेन अन्य

लेनदेन के साथ मिश्रित न हों, इन्हें पृथक लेखा सूची में प्रदर्शित किया जायेगा।

(ग) सूचियां प्राप्त होने पर निवेश के लेखे को मुख्य लेखा शीर्ष "8235 सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां–120–प्रत्याभूति मोचन निधि–निवेश लेखा" के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। यद्यपि विविध–व्यय जैसे दलाली, कमीशन आदि इस निधि पर भारित होंगे।

(घ) इन प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज को एकत्र कर बैंक निर्धारित तिथि को इस निधि में जमा करेगा इसके पश्चात इनका निवेश करने की आवश्यकता होगी जैसा कि शासन द्वारा किये गये योगदान का निवेश होगा। अर्थात ऊपर पैरा–8 में दर्शित निवेश के नियमों के अनुसार निवेश किया जा सकेगा। प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर संपूर्ण राशि को एकत्र कर शासन के खाते में स्थानान्तरित कर दिया जाएगा। अथवा शासन से प्राप्त निर्देशों के आधार पर पैरा–8 में दी गयी रूपरेखा के अनुसार उस निधि को पुनःविनियोजित कर दिया जाएगा। नामे सूची की तरह बैंक इन प्राप्तियों के लिये अलग सूची (scroll) का उपयोग करेगा।

(ङ) शासन से प्राप्त निर्देशों के आधार पर बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई के माध्यम से प्रचलित मूल्यों पर प्रतिभूतियों को बेचने की व्यवस्था करेगा तथा प्राप्त धनराशि से आकस्मिक व्ययों को कम करके शासन के खाते में जमा करेगा।

(च) परिपक्व अथवा प्रतिभूतियों के विक्रय द्वारा प्राप्त राशि को "प्रत्याभूति मोचन कोष–निवेश खाता (Guarantee Redemption Fund Investment Account)" में जमा की जाएगी। विक्रय के लिये आकस्मिक व्यय निधि को भारित होगा।

(छ) गारंटियों के मोचन के मद में होने वाले व्यय का प्रावधान संबंधित शीर्षों के तहत शासन के बजट में किया जाएगा। केवल गारंटी मोचन व्यय की वास्तविक राशि को 8235–सामान्य एवं अन्य रक्षित निधियां–आहरित गारंटियों के कारण राहत–गारंटियां मोचन निधि शीर्ष के अंतर्गत खाते में लाया जाएगा।

(ज) बैंक परिपक्वता पर प्रतिभूतियों को भुनाने की व्यवस्था करेगा। भुगतान किए जाने वाले दावों के कारण देयता को पूरा करने के लिए समय से पहले विनिवेश के मामले में, बैंक शासन के परामर्श से भुनाई जाने वाली प्रतिभूतियों पर निर्णय लेगा और प्रतिभूतियों को प्रचलित मूल्य पर बेचेगा और प्राप्त राशि से प्रासंगिक शुल्क घटाकर निधि में जमा करेगा।

(झ) शासन, भारतीय रिजर्व बैंक की परामर्श से निर्धारित दर पर बैंक को कमीशन का भुगतान करेगी। इन भुगतानों का वहन भी निधि पर करना होगा जैसा कि इस प्रकार के भुगतानों को कंडिका–9(ग) एवं 9(च) में दिये गये विवरण के अनुसार किया जाना होगा। प्रतिभूतियों के विक्रय से हुये लाभ अथवा हानि को इस निधि के खाते में लिया जाना होगा।

स्पष्टीकरण

(क) इस तरह के आहरण के कारण सरकार को डेबिट मुख्य शीर्ष 8235 के तहत किया जाएगा। ऋण की परिपक्वता पर शीर्ष 8235 (उप–शीर्ष गारंटी मोचन निधि) के तहत बकाया राशि को शीर्ष 8680 (विविध सरकारी खाता) खाता बही शेष समायोजन खाता में जमा किया जाएगा।

(ख) बैंक शासन को निवेश के कारण होने वाले डेबिट को सामान्य प्रक्रिया में आकस्मिक शुल्क घटाकर स्क्रॉल करेगा। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि फंड के निवेश लेनदेन अन्य लेनदेन के साथ मिश्रित न हों, इन्हें अलग–अलग स्क्रॉल में स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा।

(ग) बैंक निवेश पर ब्याज एकत्र करने की व्यवस्था करेगा और उसे नियत तारीखों पर निधि में जमा करेगा।

(घ) प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर, बैंक प्रतिभूतियों को भुनाने की व्यवस्था करेगा और समय से पहले विनिवेश के मामले में, प्रतिभूतियों को प्रचलित मूल्य पर बेचने और प्राप्त राशि को गारंटीकृत मोचन निधि निवेश खाते में आकस्मिक शुल्क घटाकर जमा करेगा। डेबिट स्क्रॉल के मामले में, बैंक प्राप्तियों के लिए अलग स्क्रॉल का उपयोग करेगा।

(ङ) शासन के बजट में संबंधित शीर्ष के तहत आवधिक योगदान के कारण व्यय का प्रावधान किया जाएगा। निधि से वित्तपोषित किए जाने वाले व्यय की सीमा निवेश के निपटान द्वारा निधि से निकाली जाएगी।

निधि की व्यवस्था में बैंक के कार्य

10. (क) निवेश, पुनः निवेश, अनिवेश, पुनः आबंटन, वापसी, आदि के मामलों में बैंक, शासन से समय–समय पर प्राप्त निर्देशों का पालन करेगा तथा उन्हीं निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा।

(ख) बैंक, शासन के द्वारा व्यवस्थित खाते के नामे को बढ़ाने की व्यवस्था कंडिका–5 में दिये गये नियमों के अनुसार करेगा।

(ग) कंडिका–8 में दर्शाये अनुसार इस कोष में प्राप्त योगदान को बैंक द्वारा निवेशित किया जाएगा। निधि में प्रत्याभूति कमीशन शासन द्वारा दिये गये योगदान एवं ब्याज से प्राप्त आमदनी, आवर्ती अभिवृद्धि आदि को भी बैंक द्वारा उसी प्रकार से निवेशित किया जाएगा।

(घ) निधि में संचित शेष धन राशि से प्रत्याभूतियों की हितग्राहियों द्वारा मांग (invoke) होने के फलस्वरूप उस तिथि तक जमा राशि आहरित की जा सकेगी, शासन के निर्देशानुसार इसका भुगतान किया जाएगा अथवा शासन के पास विगत वर्ष की शेष गांरटी के 5 प्रतिशत से अधिक निधि के आहरण का विकल्प होगा।

(ङ) बैंक शेष राशि की उपलब्धता पर आवर्ती प्रपत्र, संज्ञापन, आदि शासन की सहमति से उपलब्ध करायेगा।

11. शासन द्वारा बैंक को निधि के कुल संव्यवहार की राशि के एक प्रतिशत के 1/8 प्रतिशत अथवा दोनों पक्षों की सहमति से निर्धारित दर पर कमीशन का भुगतान किया जाएगा। **निधि के प्रशासन में सेवा प्रभार**

12. सामान्यतः स्थितियों में इस निधि के लेखे एवं निवेश आदि को राज्य के महालेखाकार द्वारा संधारित किया जाएगा। संबंधित विभाग द्वारा सहायक लेखों को उस रीति से रखा जाएगा जैसे महालेखाकार के सलाह पर शासन निर्धारित करे। **लेखा एवं अंकेक्षण**

13. समय–समय पर शासन योजना से संबंधित प्रावधानों के बारे में निर्देश जारी करेगा जिससे योजना के संचालन में सहूलियत हो। किसी भी प्रावधान के क्रियान्वयन में यदि कोई असुविधा आती है तो उस प्रावधान को शासन यदि संतुष्ट हो तो शिथिल कर सकेगा। **बचतें**

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शारदा वर्मा, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 29th March 2023

NOTIFICATION

No./**698**/F-2013-04-00749/B-4/Reso. - In excercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governer of Chhattisgarh, hereby, makes the Chhattisgarh State Guarantee Redemption Fund Scheme, 2023 :

Revised Scheme for Constitution and Administration of the Guarantees Redemption Fund of Government of Chhattisgarh

Title of the Scheme	1	The Scheme shall be called 'Guarantees Redemption Fund Scheme' (hereinafter referred to as 'the Fund')
Constitution of the Fund	2	A 'Guarantees Redemption Fund" shall be constituted by the Government of Chhattisgarh (hereinafter called the Government) for meeting its obligations arising out of the Guarantees issued on behalf of State level bodies. The Fund shall be constituted in the Public Account and classified under the head "8235 – General and Other Reserve Funds -117- Guarantees Redemption" in the accounts of the Government.
Objective of the Scheme	3	The Fund shall be utilised for meeting the payment obligations arising out of the guarantees issued by the Government in respect of bonds issued and other borrowings by the State Level Undertakings or other bodies and invoked by the 'beneficiaries'.

Explanation

(a) The accumulations in the Fund shall be utilised only towards the payment of the guarantees issued by the Government and invoked by the beneficiary and not paid by the institution on whose behalf guarantee was issued.

Provided that the net incremental annual investment of States (i.e. outstanding balance over and above the level in the corresponding period of the previous year) shall be eligible for availing Special Drawing Facility (SDF) from the Reserve Bank of India (hereinafter referred to as the Bank).

Commencement of the Operation of the scheme	4	It shall come into force with effect from the financial year 2023-24.
Contributions to the Fund	5	(a) The Fund shall be set up by the Government with an modest initial contribution of minimum one per cent of outstanding guarantees at the end of the previous year and thereafter minimum 0.5 per cent every year to achieve a minimum level of 3 percent in next five years. The Fund shall be gradually increased to a

desirable level of 5 per cent. If guarantees have been invoked or are likely to be invoked, additional Funds (over and above 5%) shall be maintained.

(b) It is open to the Government to increase the contributions to the Fund (beyond 0.5 per cent annual) at its discretion and also based on its assessment of likely invocation of guarantees. The balance in the Fund shall be increased with contributions made annually or at lesser intervals.

(c) In order to enable transfer of the total amount of contribution to the Fund, the Government would make suitable Budget provision on the expenditure side of their budget under the head "2075 – Miscellaneous General Services-797- Transfer to Reserve Fund and Deposit Accounts – Guarantees Redemption Fund".

(d) The Government shall not fund its contribution to the Fund out of borrowings from the Bank.

Relationship of the Fund with General Revenues / Public Account

6 (a) The corpus of the Fund comprises an initial amount demarcated by the Government, annual or other contributions made by the Government thereto as also periodic accretions by way of Guarantee Commission collected from the institutions in respect of whose bonds / obligations, the Government had issued the guarantee, in addition to the income accruing to the Fund.

(b) The Fund shall be kept outside the General Revenues of the Government and shall be utilised only in the manner prescribed in this Scheme.

Administration of the Fund

7 The Fund shall be administered by Central Accounts Section of the Bank subject to such directions/instructions as the Government may issue from time to time.

Investment of the corpus of the Fund

8 (a)The accretions to the Fund shall be invested in Government of India Dated Securities, Treasury Bills, Special Securities of the Government of India and State Government Securities of other States of such maturities as the Bank may determine from time to time in consultation with the Government.

(b)The Bank shall make available the securities for investment by acquiring the securities from the secondary market, without loading any charge other than that indicated in paragraph 11.

Accounting of Transactions

9 (a) The responsibility for the administration of the Fund will rest with the Government. The Government will decide all matters connected with the investment of the corpus of the Fund, reinvestment / dis-investment, obligations and application of the Fund, etc.

(b)The Government will, from time to time, issue instructions to the Bank. The Bank will immediately arrange to make the necessary investment. The Bank would scroll to the Government the debit on account of the investment and other incidental charges like brokerage, commission etc. in the usual course. However, in

order to ensure that the investment transactions of the Fund do not get mixed up with other transactions, these may be indicated distinctly in separate scrolls.

(c) On receipt of the scrolls the investment transactions would be accounted for under the head "8235 – General and Other Reserve Funds – 120-Guarantees Redemption Fund Investment Account". However, the incidental charges like brokerage, commission etc., shall be accounted for as a charge on the Fund.

(d) The Bank will arrange to collect interest on these securities and credit the same to the Fund on due date. Further, these would require to be invested as in the case of the contributions by the Government i.e., in accordance with the investment norms prescribed in para 8 above. On maturity of the securities, the proceeds will be collected and credited to the account of the Government or reinvested on the basis of instructions received from the Government. i.e., in accordance with the pattern outlined in para 8 above. As in the case of the debit scrolls, the Bank shall use separate scrolls, for the receipts.

(e) On receipt of instructions from the Government, the Bank will arrange to sell the securities at the ruling price through its Mumbai office and credit the amount realised, less incidental charges, to the account of the Government.

(f) The receipts on account of maturity or sale of the securities would be taken to the account of the "Guarantees Redemption Fund Investment Account". The incidental charges on sale would be charged on the Fund.

(g) The provision for expenditure on account of the Guarantees Redemption will be made in the budget of the Government under the relevant heads. Only the actual amount of guarantee redemption expenditure shall be brought in account under the head 8235 – General and other reserve fund- Relief on account of Guarantees invoked – Guarantees Redemption Fund.

(h) The Bank shall arrange to redeem the securities on maturity. In case of premature disinvestment to meet the liability on account of the claims to be paid, the Bank shall decide on the securities to be encashed in consultation with the Government and sell the securities at the ruling price and credit the amount realised, less incidental charges to the Fund.

(i) The Government will pay the Bank, a commission at the rate determined by the Bank in consultation with the Government. These charges shall also be borne by the Fund as in the case of the charges indicated in paras 9(c) and 9(f). The loss or gain on the sale of securities shall also be taken to the Account of the Fund.

Explanation

(a) The debit to Government on account of such withdrawal will be accounted under the major head 8235. On the maturity of the loan the balance outstanding under the head 8235 (Sub-head Guarantees Redemption Fund) is credited to the head 8680 (Miscellaneous Government Account) Ledger Balance Adjustment Account.

(b) The Bank would scroll to the Government the debit on account of investment less the incidental charges in the usual course. However, in order to ensure that the investment transactions of the Fund do not get mixed up with other transactions, these will be indicated distinctly in separate scrolls.

(c) The Bank will arrange to collect interest on the investments and credit the same to the Fund on the due dates.

(d) On the maturity of the securities, the Bank will arrange to redeem the securities and in case of premature disinvestment, to sell the securities at the ruling price and credit the amount realised, less incidental charges to the Guarantees Redemption Fund Investment Account. As in the case of debit scrolls, the Bank shall use separate scrolls for the receipts.

(e) The provision for expenditure on account of the periodic contributions will be made in the Budget of the Government under the relevant head. The extent of expenditure to be financed from the Fund shall be withdrawn from the Fund by the disposal of the investment.

Functions of the Bank managing the Fund

10 (a) The Bank will be guided by the directions of the Government in all matters concerning the investment / reinvestment / dis-investment / reallocation / withdrawals time to time of the Fund and will act accordingly.

(b) The Bank would arrange to raise a debit to the account of the Government maintained with it as per the schedule of contributions set out in paragraph 5.

(c) The contributions to the Fund shall be invested by the Bank as indicated in paragraph 8. The periodic accretion to the Fund by way of guarantee commission, contributions by the Government and interest income shall also be invested by the Bank in a similar manner.

(d) The withdrawals may be made from out of the balance accumulated in the Fund up to the date towards the redemption of the guarantees invoked and to be paid by the Government, as per its directions or Government shall have the option to withdraw excess fund over 5 per cent of outstanding guarantees of the previous year.

(e) The Bank will submit periodical statement of balances / advices regarding the changes therein in consultation with the Government,

Services charges for administration of the Fund	**11**	The Government will pay to Bank a commission at the rate of 1/8 per cent of one per cent of the turnover of the Fund or at the rate to be mutually decided from time to time.
Account and Audit	**12**	The accounts of the Fund and the investments shall be maintained by the Accountant General of the State in the normal course. The concerned Department of the Government will maintain subsidiary accounts in such manner and detail as may be considered by the Government in consultation with the Accountant General.
Savings	**13**	The Government shall issue instructions relating to the provisions of the Scheme as may be considered from time to time to enable smooth functioning of the Scheme. In case of any difficulty in the operation of any provision of the Scheme, the Government may, if satisfied, relax the provisions.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SHARDA VERMA, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2023.